न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक आई /. 2017 निगरानी 839- I-17

रफीक खां पुत्र श्री रसीद खॉ जाति मुसलमान , आयु 59 वर्ष , व्यवसाय कृषि निवासी तलैया मोहल्ला सिरोंज तहसील सिरोंज जिला विदिशा म.प्र

...... आवेदक

बनाम

सादिका बी पत्नी आरिफ खॉ निवासी ग्राम कांजी खेडी तहसील सिरेंज जिला विदिशा म.प्र.

...... अनावेदिका

विनोद श्रीवास्तव, अधि० द्वारा आज दि. 9-3-17 को प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 9-3-17
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

18

1. सदाक्त हुसैन पुत्र शखावत हुसैन जाति मुसलमान , निवासी – मोहल्ला किडी सिरोंज
2. विलकिस जहां पत्नी नफीस खॉ जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला मालीपुरा सिरोंज
3. नासिर अली पुत्र जफर अली जाति मुसलमान निवासी मोहल्ला कटरा सिरोंज
4. गुड्डी बाई पुत्री सुनका, जाति हरिजन निवासी ग्राम भोजपुर तहसील सिरोंज
5. दोजी पुत्र मुल्ला हरिजन निवासी ग्राम कांजीखेडी तहसील सिरोंज
6. केसरबाई पुत्री मुल्ली पत्नी गप्पू निवासी ग्राम जरोद तहसील बासोदा
7. जसोदाबाई पुत्री भगोनी पत्नी किशोरी जाति हरिजन निवासी ग्राम पथरिया तहसील सिरोंज
8. रामबाई पुत्री भगोनी पत्नी जगनू जाति हरिजन निवासी ग्राम कांजीखेडी तहसील सिरेंज

3

9. दयाराम पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम जरोंद तहसील गंजबासौदा
10. मधुबाला पत्नी प्रमोद कुमार भार्गव निवासी मोहल्ला काला महल सिरोंज
11. पानबाई वेवा रामप्रसाद हरिजन निवासी कांजीखेडी तहसील सिरोंज जिला विदिशा

.... प्रोफार्मा पक्षकार

निगरानी अंतर्गत धारा 50(1) म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सिरोंज म.प्र.द्वारा प्रकरण क्रमांक 32/ अपील / 2014– 15 में पारित आदेश दिनंका 08.02.2017 के विरूद्व निगरानी प्रस्तुत है।

माननीय न्यायालय ,

आवेदक की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:–

1. यहकि, अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई कि न्यायालय नायब तहसीलदार मण्डल – 2 तहसील सिरोंज प्रकरण क्रमांक 26 अ 27/ 2000– 2001 नया प्रकरण क्रमांक 18अ27/ 2002– 03 द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.02.03 के विरूद्व अपील प्रस्तुत की गई थी। साथ में आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 अवधि विधान का प्रस्तुत किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा फर्द बंटवारा की कार्यवाही में कोई सूचना सुनवाई का अवसर नहीं दिया जबकि अपीलांट वादित भूमि में अभिलखित सहभूमि स्वामी थी।

2. यहकि, आवेदक द्वारा आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 5 का जबाब प्रस्तुत किया कि अनावेदक को प्रत्येक कार्यवाही की समुचित कार्यवाही रही है। अनावेदक द्वारा क्रय की गई भूमि के भूमिस्वामी अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार रही है। अनावेदक के द्वारा 12 वर्ष

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-839-एक/17 **जिला** - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20.09.2018	आवेदक अधिवक्ता श्री विनोद श्रीवास्तव एवं अनावेदक क्र. 1 सादिका अपने अधिवक्ता श्री आर.एस. सेंगर सहित उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा एक आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया है कि उभयपक्षों के मध्य राजीनामा हो चुका है ऐसी स्थिति में प्रकरण का समाप्त किया जाए। प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों द्वारा राजीनामा के आधार पर प्रकरण का निराकरण किए जाने संबंधी प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। चूंकि उभयपक्षों के मध्य राजीनामा हो चुका है। ऐसी स्थिति में इस प्रकरण को आगे चलाए रखने का कोई औचित्य नहीं है। अत: यह निगरानी इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों, अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो। प्रशासकीय सदस्य	